

शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) जिला परिषद सोलापुर आरटीई अधिनियम 2009

मान्यता/नवीनीकरण 2019 से 2022 मान्यता आदेश

सम्बन्ध

आ.क. जिल्हा शिक्षण/साक्षात्कार/सा.प.।।।।। मा.शु.  
सोलापुर. दिनांक 25/02/2023



हेडमास्टर,  
सी.बी. खेडगी इंटरनेशनल स्कूल,  
तहसील अक्कलकोट, जिला सोलापुर (स्कूल युक्त क्रमांक (27100200238)

विषय :- बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इनका कलम 18 का उपयोग। बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 इनके अधिनियम 19 उप विषय (4) के अनुसार विद्यार्थी (स्कूलों) को मान्यता प्रमाण पत्र देने हेतु.....

स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा समूह शिक्षा अधिकारी (गट शिक्षणाधिकारी), पंचायत समिति, अक्कलकोट के कार्यालय को सन 2019 से 2022 तक के आरटीई मान्यता नवीनीकरण के लिए परस्तुत विद्यार्थी सूची के अनुसार, समूह शिक्षा अधिकारी इन्होंने विद्यार्थी की जांच-पड़ताल करके जो स्कूल के नियमों के अनुसार आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शैक्षिक सुविधाओं को पूरा कर रहे हैं। समूह शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, अक्कलकोट से आ.क.पं.स.ज.शिक्षण/मान्य.2/1902/20 दिनांक 03/12/2020 के अनुसार आरटीई मान्यता बच्चों की सिफारिश के साथ स्व-प्रतिज्ञापत्र के अधीन रहकर

जें शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) जिला परिषद सोलापुर दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक के नियत विषय पर अवधि के लिए कक्षा 1 वीं से कक्षा 8 तक स्व-सिक्तपोषित अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लिए सी.बी.खेडगी इंटरनेशनल स्कूल तहसील अक्कलकोट जिला सोलापुर इस स्कूल को अस्थायी अवधि के लिए आरटीई-2009 के तहत नवीनीकरण के साथ मान्यता दे रहे हैं।

यह मान्यता विम्बनिश्चित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

- 1) वेधता अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। कक्षा 8 वीं में मान्यता या संलग्नता देने के लिए किसी भी स्थिति में कोई धरिबध नहीं होगा।
- 2) स्कूल बच्चों के नि. शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (अनुबंध एक) और महाराष्ट्र बच्चों के अधिकार और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 (अनुबंध दो) के प्रावधानों का पालन करेगी।

File No. 5/2 DLB/2023  
Ashok Handkar  
Sub-Notary  
17/0

- 3) यदि स्कूल बिना अधिसूचना (बिना अनुमति) है तो लिबरटस कलाओं वर्गों और वृषित समूहों से संबंधित बच्चों को कक्षा पहली उस कक्षा में छात्रों की 15% की सीमा तक प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक छात्रों को मुफ्त और अधिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा किन्तु पूर्ण प्राथमिक कक्षाओं के संबंध में भी समुक्त का आजायाजन विच्छ जाएगा।
- 4) अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किया गया बच्चों हेतु स्कूल के लिए अधिनियम कलम 12(2) के अनुसार प्रतिपूर्ति(सायाधुंजी का अना करना) निम्नो स्कूल ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए एक अलग बैंक खाता प्रदान करेगा।
- 5) संस्थानगत स्कूल कोई प्रतिबन्धिता शुल्क नहीं लेने और बच्चे या उनके पिता या माता-पिता को किसी भी जाय में गुजराना नहीं होगा।
- 6) उस का धर्म, जाति या जातीयता का प्रमाण न होने के कारण स्कूल किसी भी कारण से किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा।
- 7) (1) विद्यमान में दक्षिण दिए किसी भी बच्चों को जो जिस कक्षा में है उसी कक्षा में रोक कर रखा नहीं जाएगा अथवा प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल में शिक्षा नहीं जाएगा।
- (2) किसी भी बच्चे को प्राथमिक दंड अथवा शालिक पैदा नहीं दी जाएगी।
- (3) इनमें से किसी भी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बंदों की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है।
- (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके बच्चों को अधिनियम 23 के अनुसार निर्धारण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- (5) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विकलांगबिच्छ स्थिति वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा।
- (6) अधिनियम के कलम 23(1)के अनुसार निर्धारित की गई योग्यता लेने वाले अध्यापकों को ऐसी योग्यता 3 साल के भीतर पूर्ण करनी होगी।
- (7) अधिनियम के कलम 24(1)में विनिर्दिष्ट (जिसका निर्देश किया गया है) किया गए उनका उत्तरी कर्तव्यों को अध्यापक पूरा करेगी।
- (8) स्कूल यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक निजी शिक्षण (ट्यूशन) में संलग्न न हो।
- 8) स्कूल उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9) स्कूल अधिनियम की धारा 29 में निर्धारित अनुसार स्कूल में अनवरत सुविधाओं को सुचना में छात्रों को प्रवेश देगा।
- 10) स्कूल अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट मन्त्री और मानदंडों का पालन करेगा। आर्टिडें टन मानदंडों को पूरा करने के बारे में समुक्त शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति, अस्कलबोट द्वारा एक स्न- बाध्य पत्र जारी किया गया है।
- 11) स्कूल परिसर में या उसके आसपास अतिरिक्त कक्षाएं या इकाइयां संचालित नहीं की जा सकती है।

Page No. 17 Date 09/01/2024  
 V. Jay Ashok Handkar  
 T. W. Chavan  
 29, No. 1189

11) स्कूल भवन या अन्य भिर्माण और छेत के मेदान का उपयोग केवल शैक्षिक और बौध्दिक विमल 300000 के लिए किया जाएगा।

12) स्कूल मीसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1960 का 21) का मुंखे पब्लिक इस्ट अधिनियम 1950 के तहत पंजीकृत संस्था द्वारा पनाया जा रहा है।

14) स्कूल किसी भी व्यक्तिगत, समुह अथवा टोन या किसी अन्य व्यक्ति के लब्ध के लिए नहीं पनाया जाता है।

15) स्कूल के छाती का जॉडिट किया जाना चाहिए और चार्टर्ड अमाउंटेड द्वारा पनायित किया जाना चाहिए और उचित छाती को नियमानुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक छाती को एक प्रति हर साल जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) को भेजी जानी चाहिए।

16) आपके विद्यालय का मान्यता कोड (273901 00230) है। इस कार्यलय के साथ पत्रचार में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। इस और ध्यान देना चाहिए।

17) शिक्षा निदेशक शिक्षा अधिकारी समय-समय पर यह अनुसंध करे, ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है या सरकार का स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्कूल की मान्यता आवश्यकताओं को पूरा करने या स्कूल के संघालन में बुटियों को ठीक करने के लिए प्रदान की जा सकती है। इस तरह के निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

18) यदि संस्था के पंजीकरण के कोई दस्तावेज है तो नवीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

नोट :- 2019 से 2022 तक आरटीई अनुनोदननवीनीकरण के लिए स्कूल के हेडमास्टर को संबंधित समुह शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के कार्यलय के साथ-साथ ऑसी(DCA) माध्यमिक) तमिला फाइल पुंठ संख्या के साथ जमा करना चाहिए। यह ध्यान देना जाना चाहिए कि अधिष्व में आरटीई आरेपन धारुनी और नियमों के अनुसार स्कूल को भेजे जाएं।

(संजयकुमार रावोड)  
शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक)  
शिक्षा परिषद, अक्कलकोट,  
सोतपुर।

नौपी :- 1) समुह शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, अक्कलकोट को सूचना के लिए भेजा।  
आप इसे स्कूल फाइल में एक प्रति पुंठ संख्या एक ही संभाल कर रखें।

Dr. N. K. D. (N. K. D.)  
Dr. N. K. D. (N. K. D.)  
Dr. N. K. D. (N. K. D.)  
Dr. N. K. D. (N. K. D.)





आदेश

388  
30/12/2022  
महाराष्ट्र विधानसभेचे कार्यालय  
कोलारु दिनांक 30/12/2022

बतः

अध्यक्ष/सचिव,  
अवकाशकोट एम्बुलेंस सोसायटी,  
ता. अवकाशकोट जि. सोलापूर.

विषय:- सन २०२६-२७ च्या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र स्वयंसेवासेवायुक्त शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२ अंतर्गत स्वयंसेवासेवायुक्त शाळाकर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यमान शाळेच्या दर्जाबाबत कारणास्तव परतवणी दिलेल्या शाळेस प्रथम सन्यास देणेबाबत...

- संदर्भ :- १) महाराष्ट्र स्वयंसेवासेवायुक्त शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम महाराष्ट्र शासन शासन अधिसूचना (क्र.२, ६ व २४) २०१२
- २) महाराष्ट्र शासन शासन शिक्षण विभाग येथील मुंबई चाचे कार्यालय शासन विधेय क्र.१२२४/२०१६-१७ दि.२८/०४/२०१६
- ३) महाराष्ट्र शासनचा शासन शिक्षण व शिक्षण विभाग यांचा शासन निर्णय क्र.२४६४(८५/१३) शासन-६ येथीलच मुंबई दि.५/१०/२०१७
- ४) मा.शिक्षण संचालक (प्रथमिक) शिक्षण संचालकालय महाराष्ट्र शासन मुंबई चाचे कार्यालय ता. क्र. शा.शिक्षण/स्वयंसेवा/२०१३/३-५/३१/३४६ दिनांक ३०/११/२०१३
- ५) मा.शिक्षण संचालक ज्येष्ठ शिक्षण मुंबई चाचे कार्यालय शासन क्र.शिक्षण/प्रथम-२/स्वयंसेवाशाळा/मान्यता/मुंबई/२०१३/१३८५/१/५२ मुंबई दिनांक १५/०५/२०१३

घटना संबंधीय विभागावधी कारणास्तव घडविल्यात येते की अस्तित्वात असलेले महाराष्ट्र स्वयंसेवासेवायुक्त शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२ अंतर्गत स्वयंसेवासेवायुक्त शाळाकर नवीन शाळा स्थापन करणे विद्यमान शाळेच्या दर्जाबाबत कारणास्तव परतवणी सादर केल्या होत्या त्याबाबतच्या नुसार आपल्या संस्थेत संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णया नुसार नवीन शाळा स्थापन करणे कारणास्तव विद्यमान शाळेच्या दर्जाबाबत कारणास्तव परतवणी दिलेली आहे व याला त्या कारणास्तव प्रथम सन्यास देण्यात येत आहे.

क्र.सं.	पुस्तक पारितोषिक क्रमांक	संस्थेचे नाव व पत्ता	संस्थेचे पिकायुक्त शाळेचे नाव व पत्ता	मालक	संस्थापन वर्ष	वर्तमान शाळा दर्जा	संस्थेचा दर्जा (शासकीय/शासन मान्यता)
१	२	३	४	५	६	७	८
१	११	अवकाशकोट एम्बुलेंस सोसायटी, अवकाशकोट जि. सोलापूर	सी.बी.चेंद्री इतरनीयन स्कूल अवकाशकोट	इराज	२०१६-१७	नवीन शाळा	३२ व ३४

**अटी व शर्ती**

- संस्थेने शाळा प्रवेशासाठी मिळालेले मोठेपणे शाळेचे शिक्षण इत्यादी बाबत अधिनियम सोपवणी यानुसार भरवाय घ्यावी.
- शासनाने ज्या शिक्षण यंत्रणे शाळा परतवणी दिलेली आहे त्या शिक्षण यंत्रणेच्या अधिनियम अन्वयेत शाळा सुरू करणेबाबत शासनाने दिलेली परतवणी अंतर्गतच तसे करण्यात येईल.
- या अधिनियमातील तरतुदी नुसार शाळा स्थापन करण्यास दिलेली परतवणी अधिनियम १९ २०१२-१३ यानुसार असेल.

